राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2042/2024

दीपिका कुमारी पुत्री धर्मेंद्र कुमार, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम रतनपुरा पोस्ट हडियाल तहसील राजगढ़, जिला चुरू (राजस्थान), 331023

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार, जोधपुर के माध्यम से।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री एच.एस. चुंडावत
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री एस.पी. जोशी
श्री सुनील जोशी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

23/02/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष 2023 के लिए सहायक प्रोफेसर भर्ती के पद के लिए भर्ती अभियान में आरक्षण के उद्देश्य से उसके ओबीसी प्रमाण पत्र पर विचार न किए जाने और याचिकाकर्ता के दिनांक 02.02.2024 (अनुलग्नक 7) के लंबित अभ्यावेदन पर विचार न किए जाने के संबंध में है।

2. पहले प्रासंगिक तथ्य। एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर ने 07.10.2023 को विज्ञापन

संख्या 01.2023 के माध्यम से सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। याचिकाकर्ता ने सभी आवश्यक योग्यताएं रखते हुए 18.11.2023 की निर्दिष्ट समय सीमा से पहले ओबीसी श्रेणी के तहत सहायक प्रोफेसर की भूमिका के लिए आवेदन किया, जिसकी हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 28.11.2023 निर्धारित की गई थी। जबकि याचिकाकर्ता ने अपनी एक वर्षीय नवजात बेटी की बीमारी और डीआरडीओ में अपने पति की नौकरी के कारण प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का हवाला देते हुए एसडीएम राजगढ़ से नवीनतम अपडेट किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र को छोड़कर सभी आवश्यक दस्तावेज समय सीमा तक जमा कर दिए थे। पुराने और नए ओबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 4 दिनांक 04.02.2016 और अनुलग्नक 5 दिनांक 02.02.2024) दोनों जमा करने और 02.02.2024 को एमबीएम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को ईमेल के माध्यम से निवारण का अनुरोध करने के बावजूद, याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान नहीं हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित मामला यह है कि वर्ष 2023 की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया अभी भी चल रही है, और इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि याचिकाकर्ता के ओबीसी प्रमाण पत्र पर विचार किया जाता है, तो उसका चयन हो जाएगा।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं।

4. इसमें संक्षिप्त विवाद यह है कि क्या अभ्यर्थी राज्य सरकार की दिनांक 30.12.2010 की अधिसूचना के लाभ के लिए पात्र है, जो उसकी जाति को ओबीसी के रूप में मान्यता देती है? यह विवादित नहीं है कि उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिनांक 04.02.2016 का ओबीसी प्रमाण पत्र अनुलग्नक 4 था। यह केवल एसडीएम द्वारा प्रदान किए जाने वाले नवीनतम प्रमाण पत्र अनुलग्नक-5 दिनांक 02.02.2024 के अनुसार ओबीसी के रूप में उसकी स्थिति की तारीख न बताने के कारण देरी हुई।

5. यह भी सवाल उठता है कि क्या उसे जाति लाभ से केवल इसलिए वंचित किया जा सकता है, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अद्यतन प्रमाण पत्र उसके द्वारा बाद की तिथि में प्रस्तुत किया गया था, भले ही उसने कट-ऑफ तिथि पर खुद को ओबीसी घोषित किया था?

6. जैसा कि ऊपर बताया गया है, दोनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, क्योंकि जाति जन्म से होती है और इसे बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जब तक कि ओबीसी प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर विवाद न हो, और यह भी पुष्टि हो कि याचिकाकर्ता की

जाति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ओबीसी की श्रेणी में शामिल है।`

7. जब न्यायालय ने दोनों मामलों में पूछताछ की, तो प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने सकारात्मक उत्तर दिया, जिसमें कहा गया कि न तो प्रमाण पत्र और न ही याचिकाकर्ता की जाति विवादित है।

8. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है।

9. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के ओबीसी प्रमाण पत्र पर कानून के अनुसार विचार करें और उसे उसकी योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया में उसके प्रदर्शन का लाभ प्रदान करें, जिसके बाद उचित परिणाम सामने आएंगे।

10. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

रिपोर्टिंग के लिए फिट है या नहीं- हां/नहीं

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।